023/वीजीएल/035

केंद्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए
जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स
आई.एन.ए, नई दिल्ली
दिनांक : 02.08.2023

परिपत्र सं06/08/23

विषय: सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 का अनुपालन

केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार से निपटने के अपने अधिदेश के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई रणनीतियाँ अपनाता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन,जागरूकता उत्पन्न करने पर ध्यान देने के साथ निवारक सतर्कता के प्राथमिक उपायोंमें से एक बना हुआ हैतथा लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिबद्धता की पुनःपुष्टि करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन उस सप्ताह में करता है जिस सप्ताह में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है। इस वर्ष, आयोग ने निर्णय लिया है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह,2023 को **30अक्तूबर 2023 से 5 नवंबर 2023** तक मनाया जाएगा।

2. सतर्कता जागरूकता सप्ताह,2023 की प्रस्तावना के रूप में, आयोग ने यह अपेक्षा की है कि सभी संगठन ध्यान दिए गए क्षेत्रों के रूप में निम्नलिखित निवारक सतर्कता उपायों के साथ **तीन माह का अभियान (16 अगस्त 2023 - 15 नवंबर 2023)**चलाएं।

क) लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण (पिडपी) संकल्प के बारे मेंजागरूकता उत्पन्न करना,
ख) क्षमता निर्माण कार्यक्रम,
ग) प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन,
घ) शिकायत निपटान मेंसूचना प्रौद्योगिकी का लाभ लेना ,
ड़) परिपत्रों/दिशानिर्देशों/ नियमावलियों का अद्यतनीकरण,
च) 30.06.2023 से पूर्व प्राप्त शिकायतों का निपटान।

उपर्युक्त 06 मापदंडों का संक्षिप्त विवरण इस परिपत्र के **अनुबंध क** में दिया गया है।

3. सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन,अभियान के दौरान विचारणीय परिणाम लाने के लिए सभी संबंधितों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। इस तीन माह की अभियान अवधि के दौरान,ध्यान दिए गए क्षेत्रों के रूप में लिए जाने वाले छह निवारक सतर्कता उपायों के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट,इन सभी के द्वारा **अनुबंध ग(i) से ग(vi)**में संलग्न प्रारूप के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग को **8 दिसंबर 2023 (शुक्रवार)** तक भेज दी जाए।

4. सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के दौरान अपनाया जाने वाला विषय और की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में आगामी अनुदेश आगे दिए गए हैं।

5. यह जानकारी आयोग की वेबसाइटhttp://www.cvc.gov.in. पर भी उपलब्ध है।

ह०/-
(पी. डेनियल)
सचिव

संलग्न : यथा उपर्युक्त

प्रति,

i) भारत के मंत्रिमंडल सचिव
ii) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों के सचिव
iii) सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव
iv) निदेशक, सीबीआई
v) प्रवर्तन निदेशक
vi) सभी सीपीएसई/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थानों/स्वायत्त संगठनों/सोसाइटियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
vii) मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसईएस/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थानों, स्वायत्त संगठनों/सोसाइटियों में सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी

अनुबंधक

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के अग्रगामी कार्यक्रम के रूप में अभियान अवधि (16 अगस्त 2023 - 15 नवंबर 2023) के दौरान की जाने वाली निवारक सतर्कता गतिविधियों का विवरण

1. पिडपी संकल्प पर जागरूकता उत्पन्न करना

भारत सरकार की नीति के अनुसार,अनाम /छद्मनाम शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी होती है। तथापि, यदि कोई शिकायतकर्ता अपनी पहचान गोपनीय रखना चाहता है, तो लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प (पिडपी) के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने का प्रावधान है।

पिडपीसंकल्प को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित गतिविधियाँ आरंभ की जाएँ:

(क) सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन पिडपी संकल्प पर जागरूकता अभियान चलाएं;

(ख) पिडपी के प्रावधानों पर एक पोस्टर तैयार किया गया है और इसे **अनुबंध ख** में संलग्न किया गया है। इसे सभी कार्यालयों में प्रदर्शित किया जाए और जहाँ भी आवश्यक हो, स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया जाए;

(ग) पिडपी संकल्प से संबंधित जानकारी आकर्षक और सरल तरीके से देने के लिए संगठन जिंगल/वीडियो तैयार करने पर विचार करें;

(घ) पिडपी संकल्प के प्रावधानों, पिडपीशिकायत दर्ज करने की सही प्रक्रिया और पिडपीशिकायतें दर्ज करते समय होने वाली सामान्य चूकों/ त्रुटियों को सही तरीके से समझाने हुए वार्तालाप/संगोष्ठी/लोक संवाद/ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाए।

2. क्षमता निर्माण

सुचारु और प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक योग्यता और कौशल हेतु अधिकारियों को प्रशिक्षण देना आवश्यक है। सभी मंत्रालय/विभाग यह सुनिश्चित करें कि अधिकारियों को निम्नलिखित पांच विषयगत क्षेत्रों में विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाए:

क) जाँच करने में आईओ/पीओ की भूमिका,

ख) सार्वजनिक खरीद,

ग) नैतिकता और शासन

घ) संगठन की प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ, तथा

ङ) साइबर स्वच्छता और सुरक्षा।

3 माह की अभियान अवधि के दौरान, क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा चयनित अधिकारियों (मुख्य प्रशिक्षक) को विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाए और इन अधिकारियों को बाद में आंतरिक प्रशिक्षण देने के लिए स्रोत व्यक्तियों के रूप में उपयोग किया जाए।

3. प्रणालीगत सुधारों की पहचान एवं कार्यान्वयन

भ्रष्टाचार के खतरे के विरुद्ध सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने में निवारक सतर्कता पहलें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, निम्नलिखितकार्य योजना अपनाई जा सकती है:

क) सभी मंत्रालय/विभागउन सामान्य क्षेत्रों की जहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है, पहचान करने के लिए पिछले 05 वर्षों के मामलों का विश्लेषण करें और उससे निपटने के लिए प्रणालीगत सुधारों को आरंभ/क्रियान्वित करें।

ख) आयोग ने पहले भी विभिन्न मामलों में प्रणालीगत सुधार उपायों की सलाह दी है। संगठन इन उपायों को लागू करने के लिए एक विशेष अभियान चलाएं।

4. शिकायतों को निपटाने में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना

अवैध कार्यों की पहचान करने और सही समय पर उन्हें रोकना सुनिश्चित करने के लिए शिकायतों का समय पर निपटान और निगरानी आवश्यक है। इससे शिकायतकर्ता में विश्वास की भावना भी उत्पन्न होती है। इसे प्राप्त करने के लिए वेब पोर्टल, ऐप्स और अन्य आईटी पहलों का उपयोग किया जा सकता है।

मुख्य सतर्कता अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों की प्राप्ति और स्थिति जानने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को ऑनलाइन पोर्टल विकसित और कार्यान्वित करने चाहिए (ऐसे पोर्टल के विकास के लिए समय सीमा उनके द्वारा इंगित की जाए)।

5. परिपत्रों/दिशानिर्देशों/ नियमावलियों का अद्यतनीकरण

पिछले अनुदेशों के क्रम में, सभी संगठनों को उन परिपत्रों/दिशानिर्देशों/मैनुअल की पहचान करने की दिशा में कार्य करना चाहिए, जिन्हें अद्यतन करने की आवश्यकता है और उनके अद्यतनीकरण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

6. शिकायतों का निपटान

यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि शिकायतें लंबित न रहें और वे निर्धारित समय अवधि के भीतर तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचें। सभी संगठन यह सुनिश्चित करें कि 30.06.2023 को या उससे पूर्व प्राप्त सभी शिकायतों का निपटान कर दिया जाए।

अनुबंधख
पिडपी पोस्टर

लोकहित प्रकटीकरण
और
मुखबिर संरक्षण संकल्प, 2004 (पिडपी)

पिडपी क्या है ?	• पिडपी भारत सरकार का एक संकल्प है। • इसके अंतर्गत दर्ज की गई सभी शिकायतों के शिकायतकर्ताओं की पहचान गोपनीय रखी जाती है।

पिडपी शिकायत कैसे की जाती है ?	• सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को शिकायत भेजी जाए और लिफाफे पर "पिडपी" लिखा होना चाहिए। • शिकायतकर्ता का नाम और पता लिफाफे पर नहींलिखा होना चाहिए अपितु बंद लिफाफे के अंदर पत्र में होना चाहिए।

शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीयरहे, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश	• जो शिकायतें व्यक्तिगत रूप से शिकायतकर्ता से संबंधित हैं या अन्य अधिकारियों को संबोधित हैं, उनमें पहचान प्रकट हो सकती है। • शिकायतें खुली स्थिति में या सार्वजनिक पोर्टल पर नहीं भेजी जानी चाहिए। • शिकायत में पहचान प्रकट करने वाले दस्तावेज़ संलग्न नहीं करने चाहिए अथवा उनका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिएजैसे: आर.टी.आई के अंतर्गत प्राप्त दस्तावेज। • लिफाफे के अंदर पत्र पर नाम और पता पुष्टि के प्रयोजन से लिखा होना चाहिए। • जिन शिकायतों की पुष्टि प्राप्त नहीं होती है, उन्हें बंद कर दिया जाता है। • अनाम/छद्मनाम पत्रों पर विचार नहीं किया जाता है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023

अधिक जानकारी के लिए https://www.cvc.gov.in को देख सकते हैं।

अनुबंध – ग(ii)

पिडपीके संबंध में जागरूकता

संगठन का नाम :

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के अग्रगामी कार्यक्रम के रूप में अभियान अवधि (16 अगस्त 2023 से 15 नवंबर 2023) के दौरान किए गए कार्यकलापों के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप

1. पिडपीके संबंध में जागरूकता का प्रचार करने के लिए कौन से अभियान चलाए गए?
2. पिडपी पोस्टर का प्रदर्शन
   (क) संगठन के कुल क्षेत्रीय कार्यालय?
   (ख) ऐसे कितने कार्यालयों में पोस्टर प्रदर्शित किया गया?
   (ग) भाषाओं की संख्या जिनमें पोस्टर का अनुवाद किया गया हो, संक्षिप्त विवरण दें।
   (घ) इसके अतिरिक्त अन्य कोई टिप्पणी, यदि हो तो दें।

3. जिंगल / वीडियो / अन्य माध्यम
   (क) पिडपी प्रावधानों के प्रचार के लिए प्रयोग की गई जिंगल / वीडियो, आदि का विवरण दें।
   (ख) इसके अतिरिक्त अन्य कोई टिप्पणी, यदि हो तो दें।

4. वार्तालाप / सेमिनार / लोक संवाद / ग्राम सभाएं
   (क) पिडपी संकल्प के प्रावधानों, पिडपी शिकायत दर्ज करने की सही प्रक्रिया और पिडपी शिकायतें दर्ज करने के दौरान होने वाली सामान्य चूक/ त्रुटि को समझाने हेतु आयोजित वार्तालाप/सेमिनार/लोक संवाद/ग्राम सभाओं की संख्या।
   (ख) इसके अतिरिक्त अन्य कोई टिप्पणी, यदि हो तो दें।

मुख्य सतर्कता अधिकारी का नाम

मुख्य सतर्कता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

<u>अनुबंध – ग(ii)</u>

क्षमता निर्माण

संगठन का नाम:

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के अग्रगामी कार्यक्रम के रूप में अभियान अवधि (16 अगस्त 2023 से 15 नवंबर 2023) के दौरान किए गए कार्यकलापों के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप

1. अभियान अवधि के दौरान टीओटी (प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण) कैप्सूल में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या:-
   क) खरीद,
   ख) नैतिकता और शासन,
   ग) संगठन की प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ, और
   घ) साइबर स्वच्छता और सुरक्षा।
   ङ) आईओ/पीओ प्रशिक्षण,

2. अभियान अवधि के दौरान प्रशिक्षित अन्य अधिकारियों की संख्या:
   क) खरीद,
   ख) नैतिकता और शासन,
   ग) संगठन की प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ, और
   घ) साइबर स्वच्छता और सुरक्षा।
   ङ) आईओ/पीओ प्रशिक्षण,

अभियान अवधि के दौरान आयोजित प्रशिक्षण का संक्षिप्त विवरण:-

मुख्य सतर्कता अधिकारी का नाम

मुख्य सतर्कता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

प्रणालीगत सुधारों की पहचान एवं कार्यान्वयन

संगठन का नाम:

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के अग्रगामी कार्यक्रम के रूप में अभियान अवधि (16 अगस्त 2023 से 15 नवंबर 2023) के दौरान किए गए कार्यकलापों के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप

(क)

(i) विश्लेषण के लिए, लिए गए पिछले 05 वर्षों के सतर्कता मामलों की संख्या ।

(ii) विश्लेषण के आधार पर,भ्रष्टाचार के प्रति पहचाने गए संवेदनशील क्षेत्रों की संख्या। संक्षिप्त विवरण दिया जाए ।

(iii) भ्रष्टाचार के संवेदनशील क्षेत्रों को सुव्यवस्थित करने के लिए लागू किए गए प्रणालीगत सुधार।

(ख)

(i) अगस्त 2023 को लंबित, आयोग द्वारा सुझाए गए प्रणालीगत सुधारों का संक्षिप्त विवरण।

(ii) अभियान अवधि के दौरान कार्यान्वित प्रणालीगत सुधारों का संक्षिप्त विवरण।

मुख्य सतर्कता अधिकारी का नाम

मुख्य सतर्कता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

अनुबंध – ग(iv)

शिकायत निपटान के लिए सूचना प्रौद्योगिकीका उपयोग करना

संगठन का नाम:

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के अग्रगामी कार्यक्रम के रूप में अभियान अवधि (16 अगस्त 2023 से 15 नवंबर 2023) के दौरान किए गए कार्यकलापों के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप

1. क्या 31.07.2023 की स्थिति अनुसार संगठन में शिकायतों की प्राप्ति और स्थिति जानने के लिए ऑनलाइन पोर्टल मौजूद थे। यदि हाँ, तो संक्षिप्त विवरण दिया जाए।
2. जहाँ ऐसा कोई पोर्टल अस्तित्व में नहीं है, क्या वहाँ ऐसा पोर्टल बनाने का निर्णय लिया गया है।

यदि हाँ,

(क) विकसित किए गए ऐसे पोर्टल का विवरण।
(ख) यदि पोर्टल अभी तक आरंभ नहीं हुआ है, तो आरंभ होने की समय-सीमा का उल्लेख करें।

3. किसी अन्य पहल का संक्षिप्त विवरण।

मुख्य सतर्कता अधिकारी का नाम

मुख्य सतर्कता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

<u>**अनुबंध – ग(v)**</u>

परिपत्रों/ दिशानिर्देशों/ नियमावलियों का अद्यतनीकरण

संगठन का नाम:

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के अग्रगामी कार्यक्रम के रूप में अभियान अवधि (16 अगस्त 2023 से 15 नवंबर 2023) के दौरान किए गए कार्यकलापों के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप

1. क्या अभियान अवधि के दौरान दिशानिर्देशों/ परिपत्रों और नियमावलियों को अद्यतन किया गया है?
2. संक्षिप्त विवरण दिया जाए।

मुख्य सतर्कता अधिकारी का नाम

मुख्य सतर्कता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

अनुबंध – ग(vi)

शिकायतों का निपटान

क्र.सं	विवरण	संख्या	टिप्पणी, यदि कोई हो तो
1	15 अगस्त 2023 की स्थिति अनुसार 30.06.2023 को या उससे पहले प्राप्त शिकायत		
2	30.06.2023 को या उससे पहले प्राप्त शिकायतों का अभियान अवधि के दौरान निपटान		
3	15 नवंबर 2023 को लंबित शिकायतें जो 30.06.2023 को या उससे पहले प्राप्त हुई हैं		